राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 01 / 2026

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्री तुलसाराम चौधरी पुत्र श्री मोडाराम निवासी वार्ड संख्या 36 हनवंत कॉलोनी, गांधीपुरा, बालोतरा, जिला बालोतरा		1 तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक 25.02.2026

अपीलार्थी श्री तुलसाराम चौधरी पुत्र श्री मोडाराम निवासी वार्ड संख्या 36 हनवंत कॉलोनी, गांधीपुरा, बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2026 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक / ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक / आरटीआई / 2026 / 100 दिनांक 20.02.2026 को प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक / आरटीआई / 2026 / 100 दिनांक 20.02.2026 को प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय पश्चात होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा